कोविड-19 से मौत होने पर ई.एस.आई.सी. लाभपात्र के परिवार को देगी विशेष राहत

जालंधर, 22 जून (एम.एस. लोहिया): इम्पलाईज़ स्टेट इंश्योरैंस कार्पोरेशन (ई.एस.आई.सी.) ने अपने लाभपात्रों के परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 राहत स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत ई.एस.आई. के दायरे में आने वाले लाभपात्री की कोरोना के कारण हुई मौत पर उस पर आश्रित पारिवारिक सदस्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यह कम से कम 1800 रुपये प्रति माह की पैंशन के तौर पर पारिवारिक सदस्यों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह स्कीम 24 मार्च 2020 से लागू की गई है। इस स्कीम का लाभ लेने वालों के लिए कुछ विशेष नियम और शर्तें भी रखी गई हैं।

अजीत समाचार
उत्तर भारत का सम्पूर्ण अख़बार
23-Jun-2021
Page: 5
http://www.ajitsamachar.com/20210623/32/5/1_1.cms